डीजी परिपत्र सं0- 42 /2023

विजय कुमार,

आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार
लखनऊ- 226010

दिनांक:लखनऊ,अक्टूबर 16, 2023

विषय : मीडिया मॉनिटरिंग एवं ब्रीफिंग SOP- 2023

प्रिय महोदय/ महोदया,

लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही एक स्वस्थ लोकतंत्र को आकार देने में भी मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रशासन एवं जनता के बीच एक सेतु का कार्य करते हुए एक ओपिनियन मेकर के रूप में भी मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। जनता में पुलिस एवं प्रशासन के प्रति एक सही राय बनाने के लिए, समयबद्ध एवं सही जानकारी का प्रसार आवश्यक है। मीडिया में पुलिस से सम्बन्धित प्रतिकूल व एकपक्षीय खबर का चलना या प्रकाशित होना एवं आपराधिक घटनाओं में पुलिस की कार्यवाही समुचित ढंग से परिलक्षित नही होना चिन्तनीय है और इस विषय पर विभाग के स्तर से विश्लेषण कर सार्थक कदम उठाये जाने आवश्यक है।

यह देखा गया है कि किसी घटना के घटित होने पर मीडिया से कम्युनिकेशन गैप, मीडिया ब्रीफिंग में विलंब अथवा समुचित ब्रीफिंग न होने पर पुलिस कार्यवाही होने के पश्चात भी अपराध की खबरें राष्ट्रीय स्तर पर सनसनीख़ेज़ बनी और सुर्खियों में कई दिनों तक बनी रही। इससे ना सिर्फ़ जनता में पुलिस के प्रति अविश्वास पैदा हुआ बल्कि पुलिस विभाग और प्रशासन की छवि भी धूमिल हुई जो अत्यंत आपत्तिजनक है।

इससे यह स्पष्ट है कि पुलिस को जनविश्वास बनाये रखने और अपनी एवं प्रशासन की छवि को धूमिल होने से बचाये रखने के लिए राउंड द क्लॉक मीडिया मॉनिटरिंग एवं किसी तरह की घटना होने पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही के साथ-साथ क्विक मीडिया रिएक्शन, प्रभावी मीडिया ब्रीफिंग एवं जनपदीय पुलिस/सम्बन्धित इकाई के सराहनीय कार्यों का समुचित प्रचार-प्रसार करना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त कमियों को दूर करने हेतु मुख्यालय स्तर से एक विस्तृत SOP निर्गत की जा रही है, जिसका अनिवार्य रूप से सभी के द्वारा पालन किया जाएगा।

आवश्यक संसाधन :-

1. पूर्व से स्थापित मीडिया सेल मे एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा, जो 24 घण्टे कार्यरत रहेगा, इसमे समस्त राष्ट्रीय चैनल एवं प्रादेशिक चैनल देखने के लिए अतिरिक्त बड़े स्क्रीन की टीवी एवं स्प्लिटर लगाया जाएगा।(स्प्लिटर लगाने मे कोई असुविधा होने पर मुख्यालय स्थित सोशल मीडिया सेन्टर से सम्पर्क किया जा सकता है)
2. बाइट रिकार्ड किए जाने हेतु आवश्यक संसाधन (ट्राइपाड, उच्च गुणवत्ता का मोबाईल/कैमरा, रिकार्डिंग माइक इत्यादि) रखे जाएंगे।
3. निरीक्षक स्तर के अधिकारी को मीडिया प्रभारी के रूप मे नियुक्त किया जायेगा जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल की मॉनिटरिंग करने वाले कर्मियों के कार्य का पर्यवेक्षण करने के साथ साथ मीडिया को सूचना उपलब्ध कराने तथा मीडिया एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मध्य समन्वय हेतु कार्य करेगा।
4. चैनल मानीटरिंग हेतु नियुक्त किए जाने वाले आरक्षी/मुख्य आरक्षी, पूर्व मे जारी डीजी परिपत्र-18/2018 मे उल्लिखित जनशक्ति के अतिरिक्त नियुक्त किये जाएंगे।
5. जोन एवं परिक्षेत्र मे भी उपरोक्तानुसार मीडिया कंट्रोल रूम स्थापित कर जनपदों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की समीक्षा की जाएगी एवं कमिया दृष्टिगोचर होने पर तत्काल उन कमियों को दूर कराया जाएगा। जोन/परिक्षेत्र/कमिश्नरेट के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से उक्त कन्ट्रोल रूम के कार्यों का सक्रिय पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।

रिएक्शन/कार्यवाही :-

1- टीवी पर चलने वाली पुलिस से सम्बन्धित प्रत्येक न्यूज़ अथवा स्क्रॉल को मॉनिटर किया जाएगा।

2- प्रत्येक घंटे पर पुलिस से सम्बन्धित खबर के चलने पर खबर का सिट्रप एवं कोई खबर नहीं चलने पर शून्य का सिट्रप(निम्न प्रारूप के अनुसार) बनाकर जनपदीय व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित किया जाएगा।

सिट्रप का प्रारूप

क्र. सं.	दिनांक/समय	समाचार चैनल का नाम	प्रकार स्क्रॉल/न्यूज	विवरण/कार्यवाही
1	2	3	4	5

3- यदि किसी घटना का स्क्रॉल चल रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर जनपदीय पुलिस अधिकारियों के व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित किया जाएगा।

4- मीडिया सेल प्रभारी द्वारा फोन करके सम्बन्धित स्क्रॉल चलने की जानकारी जनपदीय प्रभारी/इकाई प्रभारी एवं अन्य सक्षम आधिकारी को दी जाएगी।

5- उपरोक्त स्क्रॉल के सम्बन्ध मे अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक द्वारा सम्बन्धित चैनल के स्थानीय रिपोर्टर/ब्यूरो से सम्पर्क करके, पुलिस का पक्ष सम्बंधित न्यूज चैनल को उपलब्ध कराते हुए, स्क्रॉल चलवाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- पुलिस से सम्बंधित प्रतिकूल समाचार किसी भी न्यूज चैनल मे चलने पर जनपदीय पुलिस प्रभारी/इकाई प्रभारी द्वारा स्वयं चैनल के संवाददाता से वार्ता कर घटना की गम्भीरता के अनुसार स्वयं की अथवा DCP/Addl. SP/C.O. की बाइट चलवायी जायेगी।

7- पुलिस के सराहनीय कार्यो एवं उपलब्धियों से सम्बन्धित अधिक से अधिक स्क्रॉल/खबर इलेक्ट्रानिक चैनलों पर चलवायी जायेगी।

8- स्थानीय रिपोर्टर, ब्यूरो चीफ एवं राज्य स्तरीय ब्यूरो के पत्रकारों के मोबाइल नम्बर जनपदीय प्रभारी/इकाई प्रभारी अपने CUG फोन में फीड रखेंगें, जिससे उनसे सुलभता से सम्पर्क हो सके। फोन नंबर हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रकाशित पुलिस डायरेक्टरी का इस्तेमाल किया जाये।

9- मीडिया कर्मियों द्वारा फोन किये जाने पर अवश्य फोन उठाएं एवं उनके द्वारा मांगी जाने वाली वांछित जानकारी उपलब्ध करायें। अधिकारी के किसी कारण से व्यस्त होने पर फोन न उठने की दशा में पीआरओ द्वारा फोन पर वार्ता कर काल करने वाले का विवरण नोट किया जाएगा तथा अधिकारी के खाली होने पर तुरन्त उनसे वार्ता कराई जाएगी।

10- यदि मीडिया कर्मी द्वारा अधिकारी विशेष से वार्ता करने के बजाय सिर्फ किसी घटना विशेष में सामान्य जानकारी की अपेक्षा की जा रही है तो पीआरओ जनपद/इकाई के अन्य वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारीगण से सूचना प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराएंगे।

11- यदि किसी चैनल/ समाचार पत्र के स्थानीय रिपोर्टर को संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के पश्चात भी गलत/भ्रामक खबर चलती या छपती है तो तत्काल राज्य स्तरीय ब्यूरो से संपर्क कर स्थिति को स्पष्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त तथ्यात्मक बाइट के साथ तत्काल फर्जी खबर का खंडन करते हुए बाइट लोकल मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके भ्रामक खबरों को न फैलाने का अनुरोध किया जाएगा।

12- किसी भी गलत खबर के न्यूज पेपर मे छपने पर सम्बन्धित रिपोर्टर एवं उनके ब्यूरो से वार्ता कर अगले दिन उसका खण्डन तथा वास्तविक सत्य विवरण प्रकाशित कराया जायेगा।

13- सराहनीय कार्यों, पुलिस के पक्ष से सम्बन्धित स्क्रॉल एवं खबर चैनल पर चलने पर मीडिया सेल प्रभारी द्वारा उक्त खबर/स्क्रॉल का स्क्रीनशॉट लेकर इसका विवरण दिए जा रहे निम्न प्रारूप के अनुसार रखा जाएगा।

सराहनीय कार्य/पुलिस के पक्ष से सम्बन्धित खबर संकलित किए जाने का प्रारूप

क्र. सं.	दिनांक/समय	समाचार चैनल का नाम	प्रकार स्क्रॉल/न्यूज	विवरण/कार्यवाही
1	2	3	4	5

14- सराहनीय कार्यों, पुलिस के पक्ष से सम्बन्धित स्क्रॉल एवं खबर की वीडिओ को यू-ट्यूब चैनल से डाउनलोड करके जनपदीय/इकाई प्रभारी की अनुमति पर उसे जनपदीय सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर भी अपलोड किया जाएगा।

15- यदि कोई संदिग्ध/असामाजिक तत्व मीडिया कर्मी होने का अनुचित लाभ उठा रहा हो तो उसका स्थानीय मीडिया के एशोसिएशन से सत्यापन कराया जाएगा । इस सम्बन्ध में जनपद के मीडिया पदाधिकारियों से भी संवाद स्थापित किया जाए।

16- मीडिया से मधुर संबंध बनाते हुए निरंतर संवाद और समन्वय बनाए रखेंगे।

<u>सनसनीखेज घटना के घटित होने पर की जाने वाली कार्यवाही:-</u>

ऐसी घटनाए जिनसे सम्बन्धित खबर मीडिया में कुछ दिनों के लिए निरन्तर चलती रहती है उसमे पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही मीडिया में परिलक्षित करने के लिए निम्न कार्यवाहियों की मीडिया को खबर प्रदान कर उन्हे प्रतिदिन बुलेटिन के रूप मे चलवाया जाना सुनिश्चित करेंगे:-

1- पुलिस द्वारा किए जाने वाले ठोस प्रयासों से सम्बन्धित जनपदीय पुलिस/इकाई प्रभारी की बाइट(बाइट देते समय सम्बन्धित अधिकारी का नाम और पदनाम का अवश्य उल्लेख किया जाये एवं बाइट वर्दी में ही दी जाये)।

2- घटना होने पर तत्काल बेसिक डिटेल मीडिया को दिया जाये जिससे अफवाहों पर लगाम लगाया जा सके।

3- बाइट देने मे समय लगने पर मीडिया के स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुप में बेसिक जानकारी तत्काल उपलब्ध करायी जाये। बाइट का विवरण व ट्रांसक्रिप्ट भी उपलब्ध कराया जाये।

4- महत्वपूर्ण मामलों में तथ्यात्मक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों के समक्ष सवालों का शालीनता से जवाब दें।

5- घटना के अनावरण हेतु टीमों के गठन से सम्बन्धित सूचना भी सकारात्मक रूप से दी जायेगी।

6- घटना होने पर घटना की संपूर्ण जानकारी न होने अथवा घटना के संबंध में संशय होने पर अपने वक्तव्य में "अब तक प्राप्त जानकारी/प्रारंभिक जानकारी/प्रथमदृष्टया.." का समावेश करें एवं यह स्पष्ट करें कि गहन जांच/ अन्वेषण के बाद ही स्थिति स्पष्ट की जा सकती है।

7- मौके पर डॉग स्क्वायड/ फील्ड यूनिट को रवाना किए जाने से सम्बन्धित सूचना।

8- मौके पर PRV एवं स्थानीय पुलिस के पहुंचने से सम्बन्धित सूचना।

9- घटना से संबंधित पूछताछ हेतु संदिग्धों की धरपकड़ किए जाने से सम्बन्धित सूचना।

10- अभियोग पंजीकरण किए जाने से सम्बन्धित सूचना।

11- अपराध की गंभीरता के अनुसार अपराधियों के ऊपर गुंडा /गैंगस्टर लगाए जाने से सम्बन्धित सूचना।

12- जघन्य अपराधों के घटित होने पर अभियुक्तों के ऊपर NSA लगाए जाने से सम्बन्धित सूचना।

13- लूट, डकैती एवं गंभीर वारदातों के हमलावरों/लुटेरों के स्केच बनाकर जारी किए जाने से सम्बन्धित सूचना।

14- घटना स्थल एवं आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज की जांच किए जाने हेतु पुलिस टीम को लगाए जाने से सम्बन्धित सूचना।

15- रेंज/जोन स्तर के अधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जाता है तब वरिष्ठ अधिकारी की बाइट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उपलब्ध कराई जाएगी।

16- बाइट मे घटना से संबंधित, अभियुक्तों की गिरफ्तारी होने की दशा में कितने अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं इससे संबंधित, गिरफ्तारी हेतु शेष अभियुक्त के ऊपर पुरस्कार घोषित किए जाने से संबंधित तथा फरार अभियुक्तों के विरुद्ध कुर्की एवं अन्य कार्यवाही इत्यादि से संबंधित खबर उपलब्ध कराई जाएगी। अभियुक्तों के विरूद्ध गैंगस्टर अधिनियम/गुंडा अधि/जिला बदर आदि निरोधात्मक कार्यवाही का विवरण भी सकारात्मक रूप से मीडिया को प्रदान किया जाये।

<u>प्रेस ब्रीफिंग किया जाना:-</u>

प्रतिदिन पुलिस के सराहनीय व मानवीय कार्य एवं आपराधिक घटनाओं के सम्बन्ध में सायं काल 04.00 बजे जनपदीय पुलिस प्रभारी द्वारा नामित किसी राजपत्रित पुलिस अधिकारी द्वारा प्रेस ब्रीफिंग की जायेगी। ब्रीफिंग करने वाले अधिकारी को पूर्व से ही प्रकरण की सम्पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। प्रतिदिन प्रेस ब्रीफिंग के सम्बन्ध मे पुलिस महानिदेशक स्तर से जारी परिपत्र संख्या- 16/2017 मे निहित प्रावधानों का पालन किया जाये।

प्रेस ब्रीफिंग निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखकर की जायेगी:-

अ-) सामान्य निर्देश-

1- मीडिया से कम्युनिकेशन गैप न बनाये एवं पूर्ण पारदर्शिता रखते हुए मीडिया ब्रीफिंग को औपचारिक एवं तथ्यों तक सीमित रखें। किसी भी घटना में व्यक्तिगत एवं अनौपचारिक टिप्पणी से बिलकुल परहेज़ करें।

2- पुलिस अधिकारी द्वारा अपनी ब्रीफिंग आवश्यक तथ्यों तक ही सीमित रखना चाहिए और प्रचलित विवेचनाओं के संबंध में अधूरी, अनुमानित या अपुष्ट सूचनाओं के साथ प्रेस में नहीं जाना चाहिए।

3- महत्वपूर्ण इवेंट प्रोग्राम इत्यादि में Curtain raiser के रूप में मीडिया को एक दिन पूर्व ब्रीफ अवश्य कर दें, साथ ही मीडिया आमंत्रित है अथवा नहीं यह भी उल्लेख करें।

4- आपराधिक घटनाओं एवं साइबर क्राइम की घटनाओ के अनावरण के दौरान आमजन को जागरूक किए जाने हेतु अपराधियों द्वारा अपनाई जाने वाली Modus Operandi की Advisory जारी की जानी चाहिए।

ब-) अभियुक्तों एवं पीड़ित के मानवाधिकार से सम्बन्धित निर्देश-

1- किसी भी प्रकरण में मीडिया को बयान देने के लिये जनपद स्तर पर पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक या उनके द्वारा नामित प्रकरण से भिन्न संयुक्त पुलिस आयुक्त/अपर पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्त/अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस अधीक्षक/सहायक पुलिस आयुक्त/पुलिस उपाधीक्षक द्वारा वर्दी मे ही वक्तव्य दिया जायेगा । इसके अतिरिक्त अन्य किसी अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कोई वक्तव्य नहीं दिये जायेंगे।

2- महत्वपूर्ण आपराधिक घटना घटित होने, अभियोग पंजीकरण करने, घटना का अनावरण होने, नामजद/प्रकाश में आये अभियुक्तों की गिरफ्तारी होने, पुलिस कस्टडी रिमाण्ड में उल्लेखनीय कार्यवाही/ बरामदगी होने, आरोप पत्र दाखिल होने एवं अभियुक्तों को सजा होने इत्यादि पर भी प्रेस नोट जारी किया जाएगा।

3- आपराधिक घटनाओं की ब्रीफिंग में पुलिस द्वारा की जाने वाली विवेचना, व्यावसायिक तौर-तरीकों, युक्ति, सर्विलान्स/तकनीकी साधनों एवं न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरण से सम्बन्धित सूचनाओं को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। इससे आपराधिक तत्व सतर्क हो जाते हैं और अपनी आगामी योजनाओं में इस सम्बन्ध में पर्याप्त सावधानी बरत सकते हैं।

4- बरामद माल मुकदमाती को बिना सील मुहर किए मीडिया ब्रीफिंग मे प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए।

5- मीडिया को उपलब्ध कराए जाने वाले प्रेस नोट पर दिनांक एवं संख्या का उल्लेख किया जाएगा तथा उसकी हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी को भविष्य के सन्दर्भ हेतु सुरक्षित रखा जाएगा।

6- पुलिस अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली वीडियो बाइट को उपलब्ध कराए जाने के साथ-साथ उसका ट्रांसक्रिप्ट भी मीडिया को उपलब्ध कराया जाएगा।

7- आपराधिक अन्वेषण से जुड़े तथ्यों पर फोरेंसिक एक्सपर्ट एवं चिकित्सकों द्वारा सार्वजनिक रूप से बयान नहीं दिया जाना चाहिये।

8- किसी भी अभियुक्त की मीडिया अथवा जनता के व्यक्ति से बात नहीं करायी जायेगी।

9- मीडिया को ब्रीफ करते समय पुलिस द्वारा कोई भी सुझावात्मक एवं निर्णायात्मक वक्तव्य नहीं देना चाहिए, इससे मीडिया द्वारा गलत/भ्रामक निष्कर्ष निकाले जाने की संभावना बनी रहती है।

10- राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रकरणों में मीडिया को कोई भी सूचना तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक पूरा आपरेशन समाप्त न हो जाये या सभी अभियुक्त पकड़ न लिये गये हो।

11- महिला/बालकों से सम्बन्धित अपराधों में अवयस्क व्यक्तियो और बलात्कार पीड़ित महिला की पहचान को गोपनीय बनाये रखने के संबंध में जो वैधानिक प्रावधान हैं, उनका अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अवयस्कों तथा यौन अपराध के पीड़ितों की पहचान को मीडिया के सामने सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए।

12- अभियुक्तों एवं पीड़ित व्यक्तियों के वैधानिक, निजता एवं मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त सावधानी रखी जानी चाहिए।

अ - गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को मीडिया के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।

ब - ऐसे अभियुक्त जिनकी कार्यवाही शिनाख्त कराई जानी है, के चेहरे को खुला नहीं किया जाना चाहिए।

13- उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

<u>प्रेस नोट मे निम्न तत्वों का समावेश किया जाये:-</u>

- मीडिया सेल प्रभारी एवं जनपद प्रभारी इस बात का ध्यान रखेंगे कि पत्रकारिता के सिद्धान्तो के अनुसार प्रेस नोट से किसी भी घटना के निम्न 05 बिन्दुओं का उत्तर अवश्य मिल जाना चाहिये। (5 W एवं 1 H)

  W- What (क्या)
  W- When (कब)
  W- Where (कहाँ)
  W- Who (कौन)
  W- Why (क्यों)
  H- How (कैसे)

- पुलिस विभाग के द्वारा प्रेस नोट में निम्न 03 बिन्दुओं का ध्यान भी रखना आवश्यक

  क: घटना (Incident)
  ख: घटना के कारण (Cause)
  ग: पुलिस कार्यवाही (Action)

उपरोक्त परिस्थितियों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकरणों में भी मीडिया द्वारा पुलिस कार्यप्रणाली एवं व्यवहार पर प्रश्नचिन्ह लगाये जाते हैं जिनपर विचार आवश्यक है।

अ-) क़ानून व्यवस्था :- कानून व्यवस्था की स्थिति में पुलिसकर्मियों द्वारा किए गए आवश्यक बल प्रयोग के उपरांत अक्सर मीडिया में पुलिस के प्रतिकूल खबरें चलने/ प्रकाशित होने से पुलिस की छवि धूमिल होती है।

ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर निम्नानुसार कार्यवाही की जाये।

1- कानून व्यवस्था की स्थिति में उत्तेजक भीड़ के द्वारा की जाने वाली हिंसात्मक गतिविधियों को नियंत्रित किए जाने के दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा प्रयोग किए गए आवश्यक बल से संबंधित आंशिक वीडियो के प्रसारित होने से पुलिस की कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है।

ऐसी स्थिति में यह अति आवश्यक है कि कानून एवं व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर संपूर्ण घटनाक्रम की वीडियोग्राफी कराई जाए(सभी अधिकारी अपने साथ एक ऐसे कर्मी को अवश्य रखेंगे जो केवल वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी करेगा), जिसमें उत्तेजित भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसात्मक गतिविधि, पुलिसकर्मियों पर किये गये जानलेवा हमले एवं उनको नियंत्रित कर हिंसा रोकने, जानमाल की रक्षा करने एवं सार्वजनिक संपत्ति का नुक़सान रोकने हेतु किए गए आवश्यक बल प्रयोग समग्रता में परिलक्षित हो।

पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था की स्थिति मे, बल प्रयोग किए जाने की स्थिति मे स्थिति की गम्भीरता एवं बाल प्रयोग की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए विवरण मीडिया को उपलब्ध कराया जाये, जिससे किसी प्रकार का असत्य समाचार/अफवाह का प्रसारण न हो सके।

ब- पुलिस-पब्लिक इंटरफ़ेस :- पुलिसकर्मी द्वारा कार्य सरकार या जनशिकायत के निस्तारण के दौरान अकारण या शिकायतकर्ताओं द्वारा पुलिसकर्मियों से उत्तेजना पूर्ण एवं अभद्र व्यवहार के प्रत्युत्तर में पुलिसकर्मी द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग या बलप्रयोग करने से सोशल मीडिया एवं मीडिया में पुलिस के व्यवहार पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए खबरें चलती हैं जिससे पुलिस की छवि जनमानस में धूमिल होती है।

इस प्रकार की खबरों पर रोक लगाने हेतु यह आवश्यक है कि पुलिसकर्मियों द्वारा प्रत्येक शिकायतकर्ता की मनोदशा को ध्यान में रखकर उसके साथ शालीनता पूर्वक व्यवहार किया जाए एवं धैर्य रखकर उसकी बात को सुना जाए। पुलिसकर्मी द्वारा किसी भी परिस्थिति में अमर्यादित भाषा का प्रयोग न किया जाय एवं पुलिस के प्रति अभद्र भाषा या आचरण करने वाले की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए उस व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

मीडिया में पुलिस के व्यवहार पर प्रश्न चिन्ह लगने की स्थिति मे संपूर्ण वीडियो को मीडिया को उपलब्ध कराकर पुलिस के पक्ष को भी मीडिया में परिलक्षित कराया जाये।

सभी थाना प्रभारी द्वारा थाने पर लगे सीसीटीवी सही एवं कार्यरत दशा मे रखे जाए जिससे थाने पर होने वाली समस्त गतिविधि साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रह सके। दबिश/वाहन चेकिंग के दौरान वीडियोग्राफ़र, बॉडी वार्न कैमरे का प्रयोग अवश्य किया जाय, जिससे किसी भी आरोप प्रत्यारोप से बचा जा सके।

स-) पुलिसकर्मियों के भ्रष्टाचार एवं अमर्यादित व्यवहार से सम्बन्धित प्रकरण -

1- सार्वजनिक स्थान पर बावर्दी मादक पदार्थ का सेवन करने एवं नशे की स्थिति में सड़क पर पाया जाना।

2- पुलिसकर्मियों के भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरण।

3- पुलिसकर्मियों द्वारा अनैतिक एवं अमर्यादित आचरण किया जाना।

4- पुलिसकर्मियों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन किए जाने से सम्बन्धित प्रकरण।

5- पुलिसकर्मियों द्वारा बिना टिकट ट्रेन/ बस मे सफर करने से सम्बन्धित प्रकरण।

6- पुलिसकर्मियों द्वारा पेशी पर लाए गए अपराधियों के साथ नियमानुसार व्यवहार नहीं करना।

उपरोक्त परिस्थितियों के कारण भी अक्सर मीडिया में प्रतिकूल खबरें चलती हैं जिससे विभाग के लिये असहज स्थिति उत्पन्न होती है। यदि पुलिसकर्मियों की उपरोक्त गतिविधियों से सम्बन्धित खबर मीडिया मे चलाई जाती है तब ऐसी स्थिति मे सम्बन्धित प्रकरण की अविलम्ब जांच कराते हुए इससे सम्बन्धित वक्तव्य भी मीडिया में दिया जाना चाहिए।

यदि किसी प्रकरण मे पुलिसकर्मी के विरुद्ध पुष्टिकारक साक्ष्य उपलब्ध है तब उसके विरुद्ध अविलंब नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उपरोक्त से मीडिया को अवगत कराकर समाचार चलवाना / छपवाना सुनिश्चित करें जिससे पुलिस की कार्यवाही भी परिलक्षित हो सके।

डिजिटल/सोशल मीडिया

हाल के वर्षों में डिजिटल मीडिया भी संचार के प्रमुख साधन के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। मीडिया सेल द्वारा डिजिटल मीडिया का भी निरंतर अनुश्रवण करते हुए तात्कालिक महत्व की सूचनाओं से अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा।

प्रायः यह देखा गया है कि जनपद स्तर पर सबसे पहले खबर स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुपों मे आती है जो कुछ घण्टों बाद इलेक्ट्रॉनिक चैनल/सोशल मीडिया मे चलने लगती है। अतः स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुप एवं सोशल मीडिया मे चलने वाली खबर का संज्ञान लेकर तत्काल उसी व्हाट्सएप ग्रुप एवं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही (टेम्पलेट अथवा बाइट के रूप मे) भी प्रेषित किया जाना चाहिए, जिससे सम्बन्धित खबर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मे चलने पर पुलिस की कार्यवाही भी परिलक्षित हो सके।

कंट्रोल रूम मे डिजिटल मीडिया की मॉनिटरिंग किए जाने हेतु अतिरिक्त 02 आरक्षी/मुख्य आरक्षी की नियुक्ति मीडिया सेल मे की जाएगी, जो जनपद के समस्त मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुपों मे जुड़े रहेंगे तथा पुलिस से सम्बन्धित कोई भी खबर चलने पर उनके द्वारा उच्चाधिकारियों को अवगत करते हुए पुलिस की कार्यवाही उक्त व्हाट्सएप ग्रुपों मे प्रेषित की जाएगी।

परिपत्र से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण बिन्दु

क्र0 सं0	मुख्य बिन्दु	विस्तृत विवरण
1	कंट्रोल रूम की स्थापना	पूर्व से स्थापित मीडिया सेल मे एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा, जो 24 घण्टे कार्य करेगा। इसमे समस्त राष्ट्रीय चैनल एवं प्रादेशिक चैनल देखने के लिए अतिरिक्त बड़े स्क्रीन की टीवी एवं स्प्लिटर लगाया जाएगा।
2	जनशक्ति की नियुक्ति	निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा मीडिया सेल के कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाएगा। पूर्व मे जारी डीजी परिपत्र-18/2018 मे उल्लिखित जनशक्ति के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक चैनल की मॉनिटरिंग हेतु 03 अतिरिक्त एवं व्हाट्सएप चैनल की मॉनिटरिंग हेतु 02 अतिरिक्त आरक्षी/मुख्य आरक्षी नियुक्त किए जाएंगे।
3	मॉनिटरिंग एवं प्रत्येक घण्टे पर सिट्रप बनाया जाना	24 घंटे इलेक्ट्रॉनिक चैनल, सोशल मीडिया, स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुप की मॉनिटरिंग की जाएगी तथा पुलिस से सम्बन्धित खबर की सूचना का सिट्रप प्रत्येक घण्टे पर बनाकर उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा।
4	प्रेस ब्रीफिंग किया जाना	प्रतिदिन पुलिस के सराहनीय व मानवीय कार्य एवं आपराधिक घटनाओं के सम्बन्ध में सायं काल 04.00 बजे जनपदीय पुलिस प्रभारी अथवा उनके द्वारा नामित प्रकरण से भिज्ञ संयुक्त पुलिस आयुक्त/अपर पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्त/अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस अधीक्षक/सहायक पुलिस आयुक्त/पुलिस उपाधीक्षक द्वारा वर्दी मे प्रेस ब्रीफिंग की जायेगी।
5	अभियुक्तों एवं पीड़ित के मानवाधिकार से सम्बन्धित निर्देश	अभियुक्तों एवं पीड़ित व्यक्तियों के वैधानिक, निजता एवं मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त सावधानी रखी जानी चाहिए। **अ** - गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को मीडिया के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। **ब** - ऐसे अभियुक्त जिनकी कार्यवाही शिनाख्त कराई जानी है, के चेहरे को खुला नहीं किया जाना चाहिए।
6	मीडिया द्वारा पुलिस की कार्यप्रणाली एवं व्यवहार पर प्रश्नचिन्ह लगाये जाने वाले प्रकरणों मे भी मीडिया के समक्ष पूर्ण जानकारी देना।	कानून व्यवस्था की स्थिति में पुलिसकर्मियों द्वारा किए गए आवश्यक बल प्रयोग के उपरांत मीडिया में पुलिस के प्रतिकूल चलने वाली/प्रकाशित होने वाली खबरों को रोकने के लिये पुलिस का पक्ष मीडिया मे प्रसारित करवाना। पुलिसकर्मियों द्वारा उत्तेजना पूर्ण एवं अभद्र व्यवहार करने तथा पुलिसकर्मियों के भ्रष्टाचार एवं अमर्यादित व्यवहार से सम्बन्धित प्रकरण मे की गयी कार्यवाही से मीडिया को अवगत कराना।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी उपरोक्त वर्णित बिन्दुओ का पूर्ण मनोयोग से पालन करते हुए मीडिया एवं पुलिस की परस्परता एवं संवाद की एक नई और स्वस्थ परम्परा की शुरुआत करेंगे, जिससे जनसामान्य में पुलिस के कार्यों का सही प्रत्यक्षण हो सके और पुलिस के प्रति जन विश्वास मे बढ़ोत्तरी हो सके।

भवदीय

16/10

(विजय कुमार)

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग,
उत्तर प्रदेश।